तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामील नम्बर/दिनांक
२४/५/२२	पत्रावली प्रस्तुत। तहसीलदार, अनूपगढ़ से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल मिसल की गई। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट लड्डी सिंह पुत्र संता सिंह जाति बावरी का सही नाम सुरजीत सिंह पुत्र संता सिंह जाति बावरी है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा वादी का नाम लड्डी सिंह के स्थान पर सुरजीत सिंह किये जाने की अनुशंषा की। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों पर मनन किया गया। चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लड्डी सिंह है लेकिन ग्राम पंचायत -7B GB. के प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में वादी का नाम सुरजीत सिंह पुत्र संता सिंह है। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट, उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। :आदेश: उपरोक्त विवेचन के [illegible] वाद स्वीकार किया जाकर [illegible] तहसील अनूपगढ़ का [illegible] 288/431 का किला नं.-1 ता 15 [illegible] कुल 3.795 हैक्टेयर संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लड्डी सिंह पुत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talan
Date: 2022.05.09 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
	संता सिंह के स्थान पर सकी सिंह उर्फ सुरजीत सिंह पुत्र संता सिंह का अंकन राजस्व रिकार्ड मे करने हेतु तहसीलदार, अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है। निर्णय मजे आम कैम्प कोर्ट 54 G.B. में सुनाया गया। Priyanka (प्रियंका तलानिया) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.05.09 12:35:12 IST
Reason: SelfAttested